



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08112025-267468
CG-DL-E-08112025-267468

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4882]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 6, 2025/कार्तिक 15, 1947

No. 4882]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 6, 2025/KARTIKA 15, 1947

सङ्केत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2025

का.आ. 5037(अ).—यतः, केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सङ्केत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना का.आ 1507 (अ) दिनांक 12 मई 2020 द्वारा केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (नया एनएच-66) के मौजूदा किलोमीटर 17.200 से किलोमीटर 57.200 (थलापडी (कर्नाटक/केरल सीमा) से चेंगाला खंड) तक के खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "प्राधिकरण" कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम 2008 के नियम 3 (जिसे इसके बाद "नियम" कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 66 के डिजाइन चेनेज किमी 17.200 से किमी 56.200 (नया एनएच चेनेज किमी 00.000 से किमी 39.000) तक थलापडी (केरल/कर्नाटक सीमा) से चेंगाला खंड के चार या अधिक लेन के उपयोग के लिए नीचे दी गई सारणी 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 36.793 किमी की निवल सङ्केत लंबाई [सारणी-2] और 22.07 किमी (2.207 किमी की लंबाई सारणी -3) के समतुल्य संरचना (लंबाई 60 मीटर से अधिक) लंबाई वाली के लिए सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर शुल्क उद्धृत

करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों या किसी संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थातः-

सारणी - 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा मृदा संचालन उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्धृत और संग्रहीत शुल्क, ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सङ्क की दूरी हेतु शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थातः -

सारणी-2		
शुल्क प्लाज का अवस्थान	लंबाई (कि.मी.में) जिसके लिए शुल्क देय है	वह दर जिस पर शुल्क देय है
एनएच-66 (कासरगोड जिले में कुंबला गांव के पास) का किमी 37+200 (नया एनएच चेनेज 20+000)	36.793 [संरचनाओं की लंबाई (>60 मीटर) को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग के लिए संरचनाओं की लंबाई को 10 के समतुल्य कारक से गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा :-

सारणी - 03			
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	समतुल्य सङ्क लंबाई में परिवर्तित की जाने वाली संरचनाओं की लंबाई (कि.मी.में)	समतुल्य सङ्क लंबाई (कि.मी.में)	वह दर जिस पर शुल्क देय है
एनएच-66 (कासरगोड जिले में कुंबला गांव के पास) का किमी 37+200 (नया एनएच चेनेज 20+000)	2.207*	22.07	चार या अधिक लेन के लिए उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

*60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं का विवरण				
क्र.सं.	प्रारंभिक चेनेज (किमी. पर)	समाप्ति चेनेज (किमी. पर)	संरचना का प्रकार और नाम	कुल लंबाई (मीटर)
1	25+345	25+491	नया3 लेन पुल + मौजूदा 2 लेन पुल	146.5
2	28+230	28+440	नया6 लेन फ्लाईओवर	210
3	35+040 और 35+148	35+370 और 35+315	नया3 लेन पुल + मौजूदा 2 लेन पुल	248.5
4	37+411	37+677	नया6 लेन पुल	266
5	41+836 और 41+956	42+091 और 42+052	नया3 लेन पुल + मौजूदा 2 लेन पुल	175.5
6	48+780	49+940	6 लेन फ्लाईओवर	1160
संरचना की कुल लंबाई				2206.50

3. गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 340/- रूपए (तीन सौ चालीस रूपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के लिए अध्यधीन है।

4. राजमार्ग खंड पर एकाधिक यात्राओं के लिए, निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्: -

सारणी – 4		
देय राशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एक तरफ की यात्रा के लिए शुल्क की राशि का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए देय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीने

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, वहां पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित दर का 50% होगा, बर्ते ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सङ्क उपलब्ध न हो।

6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए में विनिर्दिष्ट शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सङ्क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

9. उपर्युक्त सारणी – 1 में यथा उल्लिखित आधार वर्ष 2007- 2008 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो चुकी लंबाई के

आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अँग्रेजी और ध्वनीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत ₹4492.27 करोड़ रुपये है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. केआरडीआईवी -20015/9/2024- पीआईयू कन्वर/ ई -250681]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2025

S.O. 5037(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.1507(E) dated the 12th May 2020, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from existing Kilometer 17.200 to Kilometer 57+200 (Thalapady (Karnataka/Kerala border) to Chengala section) of National Highway No.17 (New NH-66) in the State of Kerala to the National Highways Authority of India (herein after referred to as the “Authority”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules,2008 (hereinafter referred to as the " said rules"), the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in column (2) in Table 1 below for a net road section length of 36.793 Km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 22.07 km (having length of 2.207 km, Table-3) on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for use of four or more lane of Thalapady (Kerala/Karnataka border) to Chengala section from design Ch Km 17+200 to Km 56+200 (new NH Ch Km 00+000 to Km 39+000) of National Highway 66 in the State of Kerala and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-01

Type of vehicle (1)	Base rate of fee per km for the base year 2007-08(in Rupees) (2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the User Fee Plaza for net road length specified for such User Fee Plaza namely: -

Table- 02		
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length (in Km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
Km 37+200 (new NH Ch. 20+000) of NH -66 (near Kumbla village in Kasaragod District)	36.793 [excluding length of structures (>60m)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table- 03			
Location of Fee Plaza(chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
Km 37+200 (new NH Ch. 20+000) of NH -66 (near Kumbla village in Kasaragod District)	2.207*	22.07	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

*Details of structures having length more than 60 m				
Sl. No.	Start Chainage (at Km.)	End Chainage (at Km.)	Type and Name of the Structure	Total Length (mtr)
1	25+345	25+491	New 3 lane bridge + Existing 2 lane bridge	146.5
2	28+230	28+440	New 6 lane flyover	210
3	35+040 & 35+148	35+370 & 35+315	New 3 lane bridge + Existing 2 lane bridge	248.5
4	37+411	37+677	New 6 lane bridge	266
5	41+836 & 41+956	42+091 & 42+052	New 3 lane bridge + Existing 2 lane bridge	175.5
6	48+780	49+940	6 Lane Flyover	1160
Total length of structure				2206.50

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 340/- (Rupees Three Hundred and Forty only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table- 4		
Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules. and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table 1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is Rs. 4492.27 Cr. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. KRDIV-20015/9/2024-PIU Kannur/E-250681]
CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.